



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 माघ 1947 (श10)
(सं0 पटना 90) पटना, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
30 जनवरी 2026

अधिसूचना संख्या-18/2025-राज्य कर (दर)

एस0 ओ0 73, दिनांक 30 जनवरी 2026—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या-26/2018-राज्य कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 1213, दिनांक 31.12.2018, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

- उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड(ग) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- “(ग) “नामित एजेंसी” से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के तालिका I से संलग्न सूची 13, 14 और 15 में उल्लिखित निकाय से हैं;”
2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2025 से लागू होगी।

[(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-22) 20)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 जनवरी 2026

एस० ओ० 73, दिनांक 30 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[[सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-22) 20]]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th January 2026

Notification No 18/2025- State Tax (Rate)

S.O. 73, Dated 30th January 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017) , the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Tax Department notification No. 26/2018- State Tax Rate dated 31st December, 2018, published in the Bihar Gazette Extraordinary, vide No. 1213 dated 31.12.2018, namely:—

In the said notification, in the Explanation, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) **“Nominated Agency”** means entities mentioned in Lists 13, 14 and 15 appended to Table I of notification No. 45/2025- Customs, dated the 24th October, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i);”

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2025.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-22) 20)]

By the order of Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR SINGH,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 90-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>